

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 15.07.2021

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल - 08** व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. शेर बहादुर उर्फ छोटू पुत्र प्रयागराज नि० मो० मुड्डीगंज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 196/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामसांवरे सोनकर पुत्र रामअचल सोनकर नि० रघुनाथपुरवा थाना को०देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 538/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक- 15.07.2021

थाना धानेपुर ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-
संक्षिप्त विवरण-

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त मुसाहिद रजा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मुसाहिद रजा पुत्र अब्दुल अजीज नि0 धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 175/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तारकर्ता-

01. मु0आ0 दयानन्द सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 15.07.2021

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 01 व्यक्ति गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जुआरियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर कौड़िया बाजार के पास से जुआ खेलते हुए 01 व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल- 370 रुपये नगद एवं ताश के 52 पत्ते बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया में जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रफीक पुत्र नियाज अहमद नि0 कौड़िया बाजार थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 120/21, धारा 13 जुआ अधिनियम थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. हे0का0 गजानंद पाठक मय टीम ।